

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सप्लाई विविध प्रकरण सं. 04/2017 प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम हुक्मीचंद पुत्र भुराराम</p>												
	<p>पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अतर्गत धारा 6 -ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी हुक्मीचंद पुत्र भुराराम कबाडियों का बास, शेरगढ़ तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के विरुद्ध पेश किया है जिसमें यह व्यक्त किया है कि दिनांक 03.05.2017 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में हुक्मीचंद की फर्म का निरीक्षण किया मौका पर हुक्मीचंद मालिक के तौर पर उपस्थित मिला मौतबिरान के रूबरू जांच कि गई एवं पाया कि घरेलू सिलेण्डर (14.2) भराव क्षमता का उपयोग अवैध परिवहन एवं सग्रह किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर उपयोग लेते पाये गये।</p> <table border="1" data-bbox="451 1171 1385 1325"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>सिलेण्डर नं.</th> <th>कम्पनी का नाम</th> <th>सिलेण्डर पर अंकित वजन</th> <th>सिलेण्डर का वजन</th> <th>गैस का वजन</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>56343-5</td> <td>एच.पी.</td> <td>15.7</td> <td>23.1</td> <td>7.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस प्रकार घरेलू गैस का सग्रह कर वाणिज्यिक प्रयोग पाये जाने पर उपरोक्त वर्णित सिलेण्डर 56343-5 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया सरकार किया जाकर कुवंरराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह फर्म गिरिराज गैस सर्विस, शेरगढ़ , जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का सग्रह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 दण्डनीय अपराध है।</p>	क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन	01	56343-5	एच.पी.	15.7	23.1	7.4
क्र. सं.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन								
01	56343-5	एच.पी.	15.7	23.1	7.4								

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण प्राप्त होने पर अप्रार्थी को नोटिस अतंगत धारा 6-बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होना पाया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी दिनांक 07.07.2017 को को उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा की जाती है तथा विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तशुदा सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करायी जाये, आदेश की एक प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।